



केंद्रीय सूचना आयोग/Central Information Commission

बाबा गंग नाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg

मुनिरका /Munirka, नई दिल्ली /New Delhi - 110 067

फाइल न. CICOM/R/P/21/00172

दिनांक: 23.04.2021

सेवा में,

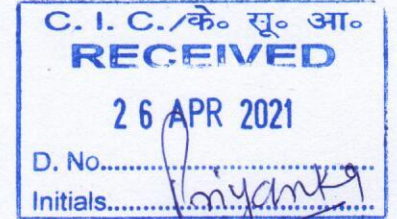
श्री अजेश कुमार पुण्डीर

स्वर्गीय श्री श्याम सिंह पुण्डीर

ग्राम कसौली, डाकखाना- चौकड़ा

विकास खंड - चरयावल

जिला मुज़फ्फरनगर -उत्तर प्रदेश-251311



विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने हेतु।

महोदय,

आपका ऑनलाइन आर टी आई आवेदन जो आयोग में दिनांक 25.03.2021 को प्राप्त हुआ।
वांछित सूचना निम्न प्रकार है।

बिंदु 2:- query/advise मांगी गयी है जिसमें आयोग के निर्णय का भी वर्णन किया गया है। जहां तक query/advise का सवाल है वह सूचना के अधिकार के अधिनियम की धारा 2 (f) के दायरे से परे है। अतः कोई भी सूचना प्रदान करने में असमर्थ है जहाँ तक आयोग के निर्णय पर टिप्पणी करने की बात है उस पर भी कुछ कहने में असमर्थ है क्योंकि आयोग का निर्णय quasi judicial होता है।

बिंदु 3:- अपीलार्थी की query/issue अधूरा/अस्पष्ट प्रतीत होता है लेकिन ऐसा आभास होता है की वह आयोग द्वारा लगाई गई पेनल्टी की जानकारी चाहता है अगर यह सही है तो यह स्पष्ट किया जाता है की वंचित सूचना की जानकारी हेतु आयोग से संबंधित वार्षिक रिपोर्टों का अवलोकन करे।

जिसका लिंक इस प्रकार है <https://cic.gov.in/reports/37>.

बिंदु 4:- जुर्माने की राशि सरकारी खाते में credit कर दी जाती है जहाँ तक अपीलार्थी की query /issue "जबकि इससे आवेदन करता का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है" का सम्बन्ध है वह query / advise /suggestion होने के नाते धारा 2 (f) के दायरे से परे है।

यदि आवेदक सी पी आई ओ की सूचना से संतुष्ट नहीं है तो श्रीमती मीना बालिमाने शर्मा, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के वहां 30 दिन के अंदर प्रथम अपील कर सकते हैं।

राम कुमार

सीपीआईओ और अनुभाग अधिकारी

केंद्रीय रजिस्ट्री- II

टेली नं -26172690

012



कॉपी करें: 1. सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सूचना के लिए सीआईसी।